



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

अधीक्षक कार्यालय

गान्धी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-२२६००३

पत्र संख्या-.....3690

दिनांक-...../...../2024

कार्यालय ज्ञाप

कुलसचिव, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या : 1121/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग/2021 दिनांक 07.10.2021 द्वारा के०जी०एम०यू० की मा० कार्यपरिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में (Medical Reimbursement Policy for KGMU' Employees and their dependent), Version 2.0-August, 2021, Indoor and Outdoor) को प्रभावी किया गया था।

उक्त नियमावली के Part (B) For Outdoor Category Patient (OPD) सम्बन्धित प्रविधान को के०जी०एम०यू० की मा० कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15.06.2024 में एजेन्डा आइटम नं०-06 पर संशोधित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है। कुलसचिव, के०जी०एम०यू० द्वारा अपने पत्र संख्या: 2446/M-Cell/2024 दिनांक 20.06.2024 द्वारा मा० कार्यपरिषद के निर्णय की प्रति अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है।

मा० कार्यपरिषद द्वारा किये गये निर्णय के अनुपालन में के०जी०एम०यू० में विद्यमान "Medical Reimbursement Policy for KGMU's Employees and their Dependent (Version 2.0 - August, 2021) (Indoor And Outdoor) में निहित नीतियों का अस्तित्व रखते हुए कुछ संशोधनों को समाविष्ट किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि विचारोपरांत विद्यमान नियम के साथ ही संशोधनों को भी समिलित कर दिया गया है। जिसका विवरण तालिका के अनुसार निम्नत है :-

विद्यमान नियम	मा० कार्यपरिषद द्वारा किये गये निगमित संशोधित नियम
<p>PART : (B) FOR OUTDOOR CATEGORY PATIENTS (OPD)</p> <p>(I) To get consultation by the doctors of KGMU</p> <p>If a faculty/employee, gets himself / herself or his / her dependents (hereinafter is defined as beneficiary) treated through KGMU doctors in OPD, then the following facilities will be provided to beneficiary by the hospital administration:-</p> <p>: FACILITIES :</p> <p>1. REGISTRATION AND PRESCRIPTION FEE No registration fee will be charged from the beneficiary.</p> <p>2. MEDICATIONS AND OTHER CONSUMABLES If the beneficiary has any medical advised by OPD's Doctors, then the beneficiary will have the following options to obtain that medicine.</p> <p>a) The signed issue slip will have to be deposited at the LP counter, from where the medicine will be received within a maximum of 03 working days.</p> <p>b) Beneficiary can directly purchase from the <u>HRF's Medical Store of KGMU</u>, and then send the invoice for medical reimbursement, for which <u>full payment will be made</u> to the concerned. (Full reimburse)</p> <p>c) If any medicine not available in HRF</p> <p>or</p>	<p>Executive Council deliberated on the matter in detail and after due deliberations Executive Council decided that following provisions be incorporated in the existing re-imbusement policy of KGMU :</p> <p>a) <u>100% re-imbusement to the KGMU staff/employees, if prescription is from KGMU OPD and LP in not able to provide within 48 hours.</u></p> <p>b) Beneficiary can directly purchase from the HRFs Medical Store of KGMU and then send the invoice for medical re-imbusement for which full payment will be made to the concerned.</p>

Mail to All
File

Chief Medical Superintendent
Gandhi Memorial & Associated Hospital
King George's Medical University, U.P.
Lucknow

Superintendent,
G.M. & Associated Hospital,
Lucknow.

Chief Medical Superintendent
Gandhi Memorial & Associated Hospital,
King George's Medical University, U.P., Lucknow



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

अधीक्षक कार्यालय

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-२२६००३

पत्र संख्या-.....

दिनांक- 22/07/2024

-2-

<p>If any medicine available but purchased from outside in case of (emergency / semi-emergency) In such a situation, the reimbursement will be done:-</p> <p>i) At the rate of HRF.</p> <p>ii) If not listed in HRF, then at the rate of CGHS</p> <p>iii) Equivalent payment as per LP rate extant at that time.</p>	<p>c) If not available in HRF, then can buy from outside and seek complete reimbursement. The difference in market price and the LP will be charged from the L1 LP Vendor.</p>
--	--

प्रश्नगत नियमावली में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

चिकित्सा अधीक्षक

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र पृष्ठांक संख्या 2277/उक्त दिनोंक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
5. चीफ प्राक्टर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रभारी/अधिकारी, संक्रामक रोग चिकित्सालय/समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गेस्ट हाउस, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षक, (चिकित्सा/दंत संकाय), के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
8. अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय/दंत संकाय/छात्र कल्याण, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
9. परीक्षा नियन्त्रक, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
11. प्रवोस्ट, समस्त छात्रावास, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
12. आनरेरी लाइब्रेरियन, केन्द्रीय पुस्तकालय, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/विद्युत एवं यांत्रिक विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
14. प्रभारी, मीटिंग सेल, कुलसचिव कार्यालय, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
15. निजी सचिव को मा० कुलपति महोदय जी के अवलोकनार्थ।

चिकित्सा अधीक्षक

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।